"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 जनवरी 2009—माघ 3, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक ई-1-1/2008/1/2.—श्री अमित कटारिया, भा. प्र. से. (2004), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर की सेवायें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, नगर निगम, रायपुर के पद पर पदस्थापना हेतु नगरीय विकास विभाग को सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

कृषि (मछली पालन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2009

क्रमांक एफ 1-6/2007/36/स्था.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24-06-2008 में आंशिक संशोधन करते हुए संयुक्त संचालक, मत्स्योद्योग से संचालक, मत्स्योद्योग के पद पर पदोन्नति हेतु आवश्यक अर्हता सेवा अवधि 02 वर्ष में 01 वर्ष (व्यवहारिक रूप से 3 माह) की छूट एक बार के लिये देने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है. भविष्य के लिए यह छूट पूर्वोदाहरण नहीं होगी.

उक्त स्वीकृति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की टीप यू. ओ. क्रमांक-793 दिनांक 30-12-2008 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. तिवारी, उप-सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2009

क्रमांक एफ 2-18/02/12.—जिला राजनांदगांव के अन्तर्गत खनिज गोल्ड, जिंक, कॉपर के अन्वेषण हेतु 500 वर्ग किमी क्षेत्र के लिए मेसर्स ज्योमैसूर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के पक्ष में दिनांक 23-09-2002 को स्वीकृत रिकॉनेन्स परमिट के अनुबंध का निष्पादन दिनांक 2[illegible]-11-2002 को हुआ था.

2. कम्पनी ने अनुबंध निष्पादन की तिथि से 2 वर्ष पश्चात् एमसीआर 1960 के नियम 7 (1) (i) (a) के तहत स्वीकृत क्षेत्र में से 2[illegible]0 वर्ग किमी का त्याग बाबत अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 26-05-2006 समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 19-04-2006 प्रकाशित हुई है.

3. अनुबंध निष्पादन की तिथि से 3 वर्ष की समाप्ति पर एमसीआर 1960 के नियम 7 (1) (i) (b) के तहत कम्पनी द्वारा कार्य हेतु रखा शेष क्षेत्र 250 वर्ग किमी में से पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति हेतु आवेदित क्षेत्र 2.5 वर्ग किमी को छोड़कर शेष क्षेत्र भी खाली हो गया है.

4. अनुसूची-दो में उल्लेखित क्षेत्र 250 वर्ग किमी में से अनुसूची-एक में उल्लेखित क्षेत्र 2.5 वर्ग किमी को छोड़कर शेष क्षेत्र खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 59 (1) (ii) के अन्तर्गत खुला घोषित किया जाता है.

अनुसूची-एक
(टोपोशीट क्रमांक 64 डी का भाग)

क्रमांक	बिन्दु	देशांश	अक्षांश
1	A	80°45'8.97"	20°20'58.74"
2	B	80°46'15.76"	20°20'58.83"
3	C	80°46'15.82"	20°20'16.77"
4	D	80°45'09.04"	20°20'16.68"

अनुसूची-दो
(टोपोशीट क्रमांक 64 डी का भाग)

स. क्र.	बिन्दु	देशांश	अक्षांश	स. क्र.	बिन्दु	देशांश	अक्षांश
1	B	80°52'5.05"	20°29'43.89"	10	K	80°46'34.24"	20°28'15.94"
2	C	80°52'5.31"	20°24'40.09"	11	L	80°44'41.21"	20°28'15.88"
3	D	80°50'7.98"	20°24'39.99"	12	M	80°44'41.57"	20°24'32.83"
4	E	80°50'7.75"	20°28'16.05"	13	N	80°44'11.39"	20°23'02.29"
5	F	80°48'23.06"	20°28'15.94"	14	O	80°44'20.07"	20°21'51.35"
6	G	80°48'23.22"	20°26'12.44"	15	P	80°43'34.29"	20°18'33.72"
7	H	80°47'54.01"	20°26'12.41"	16	Q	80°43'50.56"	20°154'37.33"
8	I	80°47'54.18"	20°24'02.77"	17	T	80°55'45.93"	20°25'58.77"
9	J	80°46'34.61"	20°24'02.67"	18	S	80°55'45.93"	20°29'43.86"

Q से T राजनांदगांव एवं कांकेर जिलों की सीमा के साथ

5. उक्त क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के 30 दिवस पश्चात् खनिज रियायतों के पुनः अनुदान हेतु उपलब्ध होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक-एफ-13-9/गृह-दो/2008.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर सेना सेवा चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की रीति तथा विस्तार को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ—**

(1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ नगर सेना, (चतुर्थ श्रेणी) सेवा, भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2008 है.

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **लागू होना—** यह नियम अनुसूची एक, दो, तीन एवं चार के कालम (3) में विनिर्दिष्ट किये गए पदों के लिए लागू होगा.

3. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि—** सेवा का वर्गीकरण सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, भर्ती के तरीके, आयु सीमा तथा अन्य विषय, अनुसूची एक के कॉलम (4) से (6) अनुसूची दो एवं तीन के कॉलम (4) से (8) तथा अनुसूची चार के कॉलम (5) से (7) में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होगा.

4. **आरक्षण—**

(1) सीधी भर्ती के पदों के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार होगा.

(2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण का क्षेत्र) नियम, 1997 के प्रावधान के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण होगा.

(3) महिलाओं के लिए आरक्षण :— महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (लोक सेवा तथा पदों में महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 के अनुसार होगा.

5. **व्यावृत्ति—** इन नियमों की कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु उपबंधित आरक्षण तथा छूट को प्रभावित नहीं करेंगी, भूतपूर्व सैनिक, शासकीय सेवक जो सेवावधि के दौरान मृत हुआ हो, के परिवार के एक सदस्य की अनुकंपा नियुक्ति, विकलांग व्यक्ति तथा अन्य श्रेणी से संबंधित अन्य व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार विनियमित किए जायेंगे.

6. **निरसन तथा व्यावृत्ति—** इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं.

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय पिल्ले, सचिव.

अनुसूची-एक
(नियम 3 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

स. क्र.	विभाग तथा सेवा का नाम	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	गृह विभाग, छ. ग. नगर सेना चतुर्थ श्रेणी सेवा	हवलदार अर्दली	01	चतुर्थ श्रेणी	2610-60-3150-65-3540	
2.		सिपाही	04	—तदैव—	2550-55-2660-60-3200	
3.		भृत्य/अनुचर	42	—तदैव—	2550-55-2660-60-3200	
4.		रसोईया	24	—तदैव—	2750-70-3800-75-4400	

अनुसूची-दो
(नियम 3 देखिए)

भर्ती का तरीका

स. क्र.	विभाग तथा सेवा का नाम	पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
				सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से अस्थायी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	गृह विभाग, छ. ग. नगर सेना चतुर्थ श्रेणी सेवा	हवलदार अर्दली	01	-	100%	-	
2.		सिपाही	04	100%	-	-	
3.		भृत्य/अनुचर	42	100%	-	-	
4.		रसोईया	24	100%	-	-	

अनुसूची-तीन
(नियम 3 देखिए)

सीधी भर्ती के लिए आयु तथा शैक्षणिक अर्हता तरीका

स. क्र.	विभाग तथा सेवा का नाम	पदों के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	चयन समिति	भर्ती की रीति	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	गृह विभाग, छ. ग. नगर सेना चतुर्थ श्रेणी सेवा	सिपाही	18 वर्ष	30 वर्ष	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण	(मुख्यालय के लिए) 1. कनिष्ठ कार्यालय अधिकारी-अध्यक्ष 2. सहायक क्वाटर मास्टर-सदस्य 3. कंपनी कमाण्डर-सदस्य (एस.एस.ओ. द्वारा नाम-निर्दिष्ट)	प्रतियोगी परीक्षा/ साक्षात्कार द्वारा	
2.		भृत्य/अनुचर	18 वर्ष	30 वर्ष	-तदैव-	(संभागीय कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालय के लिए) जिला सेनानी-अध्यक्ष		
3.		रसोईया	18 वर्ष	30 वर्ष	-तदैव-	(संभागीय सेनानी द्वारा नाम-निर्दिष्ट) 2. दो कंपनी कमाण्डर-सदस्य (संभागीय सेनानी द्वारा नाम-निर्दिष्ट)		

टीप :— उपरोक्त पदों पर स्वयंसेवी नगर सैनिक जिनकी 6 वर्ष सेवा पूर्ण हो चुकी है एवं जो रोल पर है, को चयन द्वारा नियुक्त किया जायेगा.

अनुसूची-चार

स. क्र.	विभाग तथा सेवा का नाम	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	अपेक्षित अनुभव	चयन के लिये प्रक्रिया	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	गृह विभाग, छ. ग. नगर सेना चतुर्थ श्रेणी सेवा	सिपाही/भृत्य/ अनुचर/रसोईया	हवलदार अर्दली	5 वर्ष	वरिष्ठता -सह- योग्यता	1. कनिष्ठ कार्यालय अधिकारी-अध्यक्ष 2. सहायक क्वार्टर मास्टर-सदस्य 3. कंपनी कमाण्डर-सदस्य	

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक-एफ-13-9/गृह-दो/2008.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ-13/9/गृह-दो/2008 रायपुर दिनांक 31 दिसम्बर 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय पिल्ले, सचिव.

Raipur, the 31st December 2008

No. F-13-9/Home-Two/2008.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules to regulate the method and scope of recruitment to the Class IV Service in Chhattisgarh Home Guard Service, namely :—

RULE

1. **Short Title.—**
   (1) This rule may called the Chhattisgarh Home Guard (Class-IV) Service Recruitment and Promotion Rule, 2008.

   (2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—This rule shall apply to the posts specified in column (3) of the Schedule-I, II, III and IV.

3. **Classification and Scale of Pay etc.**— The classification of service the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto method of recruitment, age limit and other matters shall be in accordance with provisions contained in column (4) to (6) of Schedule-I, column (4) to (8) of Schedule-II and III and column (5) to (7) of Schedule-IV.

4. **Reservation.—**

(1) Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes. Reservation for the posts of direct recruitment shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994.

(2) Reservation in promotion shall be made for the condidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes in accordance with provision of Chhattisgarh Civil Service (Reservation in promotion and zone of consideration) Rules, 1997.

(3) Reservation for women,— Reservation for women candidates shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Service (Special Provision of Appointment of Women in Public Service and Posts) Rules, 1997.

5. **Saving.**—Nothing in these rules shall effect reservation and relaxation provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, for Ex-serviceman compassionatory appointment to the one member of the family of the Government employees, who dies during service period, handicapped persons and other persons belonging to other categories and shall be regulated in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

6. **Repeal and Saving.**—All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or any action taken under rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANJAY PILLAY, Secretary.

SCHEDULE-I
(See rule-3)

Classification of Service, Pay Scale and Number of Post Including in the Services

S. No.	Name of the Department and Service	Name of the post in the Service	Number of Posts	Classification	Pay Scale	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Home Department, C. G. Home Guard Class-IV Service	Havildar Orderly	01	Class-IV	2610-60-3150-65-3540	
2.		Sepoy	04	-do-	2550-55-2660-60-3200	
3.		Peon/Follower	42	-do-	2550-55-2660-60-3200	
4.		Cook	24	-do-	2750-70-3800-75-4400	

SCHEDULE-II
(See rule-3)

Procedure for Recruitment

S. No.	Name of the Department & Service	Name of the post	Total number of posts	Percentage of the No. of Duty posts to be filled in Pay Scale			Remarks
				By Direct recruitment	By Promotion basis	Other service on Temporary	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Home Department, C. G. Home Guard Class-IV Service	Havildar Orderly	01	-	100%	-	
2.		Sepoy	04	100%	-	-	
3.		Peon/Follower	42	100%	-	-	
4.		Cook	24	100%	-	-	

SCHEDULE-III
(See rule-3)

Age and Education Qualification For Direct Recruitment

S. No.	Name of the Department and Service	Name of the Post	Minimum Age limit	Upper Age limit	Prescribed Educational Qualifications	Selection Committee	Method of Recruit-ment	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Home Department, C. G. Home Guard Class-IV Service	Sepoy	18 Years	30 Years	8th Class Passed	(For Head Quarter) 1. Jonior Staff Officer-Chairman. 2. Asstt. Quarter Master-Member. 3. Company Comman-der-Member. (Nominated by S. S. O.)	By Competitive Examination/ Interview	
2.		Peon/ Follower	18 Years	30 Years	-do-	(For Division Office and Sub-Ordinate Offices) 1. District Commandant-Chairman.		
3.		Cook	18 Years	30 Years	-do-	(Nominated by Divisional Commandant) 2. Two Company Comman-dent-Member. (Nominated by Divisional Commandant)		

Note— Appointment in above post for Home Guard volunteers who have completed six year service and on roll.

SCHEDULE-IV
(See rule-3)

S. No.	Name of the Department and Service	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the Post which promotion is to be made	Requirement of Experience	Procedure for Selection	Member of Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Home Department, C. G. Home Guard Class-IV Service	Sepoy/Peon/ Follower/ Cook	Havildar Orderly	5 Years	Seniority-cum-merit	1. Junior Staff Officer- Chairman 2. Asstt. Quarter Master- Member 3. Company Commander-Member.	

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2009

क्रमांक एफ 3-145/गृह-दो/2008.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से भेद करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कालम नं. 3 में वर्णित पुलिस थाने को उक्त सारणी के कालम नं. 4 की तत्संबंधित प्रवृष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्र को कालम नं. 3 में वर्णित थाने के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही कालम नं. 2 में वर्णित पुलिस नवीन थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है :—

क्र.	उस पुलिस थाने का नाम (तह. जिला सहित) जिसमें से शामिल किया गया	उस थाने का नाम जिसमें अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्र	
			वार्ड का नाम	पटवारी हल्का नंबर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना कोतवाली, जिला रायपुर	थाना टिकरापारा, जिला रायपुर	वार्ड क्रमांक 49	106

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 जनवरी 2009

क्रमांक-क/भू-अर्जन/01.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	परसापाली प.ह.नं. 14	0.156	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चांपा.	परसापाली माइनर न. 2 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 7 जनवरी 2009

क्रमांक/230/भू-अर्जन/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	पनियाजोब प. ह. नं. 16	600 (0.15 डि.)	कार्यपालन अभियंता, लो. स्वा. यां. खण्ड, राजनांदगांव.	डोंगरगढ़ आवर्धन ज. प्र. यो. हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 19 अगस्त 2008

क्रमांक/1426/ले. पा./भू-अर्जन/08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	पेंड्रावन प. ह. नं. 29	1.19	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, बेमेतरा.	नौकेशा से गाड़ाडीह मार्ग

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 12 जनवरी 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	छुरीखुर्द	6.182	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कोरबा.	[illegible] मेगावाट पावर प्लांट स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2008

क्रमांक 5/अ-82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	आन्दू	3.827	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	आन्दुल (जोगीडोंगरी) जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2008

क्रमांक 6/अ-82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	सधवानी	1.739	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	आन्दुल (जोगीडोंगरी) जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

बिलासपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2008

क्रमांक 3/अ-82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	धनौरा	4.291	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	कुम्हारी व्यपवर्तन योजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2008

क्रमांक 4/अ-82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	लोहारी	4.165	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	कुम्हारी व्यपवर्तन योजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणी बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 14 मई 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	राजिम	किरवई	135	0.032	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, गरियाबंद.	किरवई-धमनी-आरण्ड मार्ग निर्माण.
			136/1	0.040		
		योग	2	0.072		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2008

क्रमांक/अ.वि.अ./भू-अर्जन/07/अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	परसुलीडीह प. ह. नं. 96	325/2	0.219	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 01, रायपुर.	जोरा - सड्डू - धनेली (बायपास क्र. 3 मार्ग) हेतु.
		योग		0.219		

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/अ.वि.अ./भू-अर्जन/09/अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा (5) (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	बरौदा प. ह. नं. 96	36/2	0.041	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-01, रायपुर.	जोरा - सड्डू - धनेली (बायपास क्र.-3 मार्ग) हेतु.
			44/1	0.417		
			53/3	0.307		
			53/11	0.040		
			57/1	0.097		
			57/4	0.051		
			65/2	0.242		
			66/5	0.045		
			65/3	0.097		
			66/3	0.040		
			293/2	0.154		
			316/1	0.109		
			316/8	0.044		
			342/10	0.144		
			346/2	0.049		
		योग	15	1.877		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 14 जनवरी 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-कोरबा
   (ख) तहसील-कटघोरा
   (ग) नगर/ग्राम-छुरीखुर्द, प. ह. नं. 27
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.182 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
69/2	0.202
69/3, 75/1	0.150
69/4	0.040
70	0.210
72	0.162
73	0.093
74/1	0.162
74/2	0.081
74/3	0.162
74/4	0.101
75/2	0.288
75/3	0.028
76/1	0.073
76/2	0.040
77/1	0.065
77/2	0.049
78	0.020
79/1	0.182
79/2	0.121
79/3	0.081
79/4	0.081
79/5	0.162
79/6	0.045
80	0.077
81/2	0.024
81/3	0.057
81/4	0.024
82	0.085
83/2	0.125
84, 85, 86, 87	0.469
88, 89, 90	0.546
93, 94/1, 95/2	0.194
95/1, 94/2	0.223
95/3	0.239
95/4	0.202
95/5	0.202
95/6	0.202
505/1 gh	0.121
532/2	0.073
532/3	0.020
532/4	0.053
533/1	0.223
533/2	0.101
533/3	0.081
533/4	0.081
533/5	0.081
533/6	0.081
योग 47	6.182

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-70 मेगावाट पावर प्लांट हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 7 जनवरी 2009

क्रमांक/229/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-पाटा, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.38 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	3/3	0.28
	4/1	0.85
	10/3	0.14
	10/4	0.18
	10/9	0.06
	10/5	0.06
	10/10	0.16
	11	0.11
	13	0.04
	17	0.11
	20	0.10
	19/1	0.16
	19/2	0.06
	19/3	0.07
योग	14	2.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गंजीगंजा जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु अर्जित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2008

क्रमांक/570/अ.वि.अ./भू-अर्जन/08/अ/82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-राजिम
- (ग) नगर/ग्राम-राजिम
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.101 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	17/1	0.075
	17/4	0.026
योग	02	0.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राजिव लोचन मंदिर पहुंच मार्ग के अन्तर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2008

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र./12/अ-82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-रायपुर

(ग) नगर/ग्राम-परसुलीडीह, प. ह. नं.-96

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.601 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	18	0.150
	21/3, 21/1	0.089
	200	0.202
	199/2	0.057
	198/2, 199/6	0.041
	199/3	0.036
	29/3	0.101
	29/2	0.020
	29/1, 30/1	0.136
	31	0.567
	23/2	0.202
योग	11	1.601

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-दीनदयाल आवास कालोनी में पहुंच मार्ग हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग 1, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 जनवरी 2009

क्रमांक 02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-पामगढ़

(ग) नगर/ग्राम-रसौंटा, प. ह. नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.105 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	533/1	0.004
	533/27	0.061
	533/28	0.040
योग	03	0.105

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रसौंटा माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 जनवरी 2009

क्रमांक 03.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम-मल्दाकला, प. ह. नं. 23

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.463 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
253/1 क/46	0.085

(1)	(2)
253/1 क/65	0.202
253/1 क/56	0.040
253/1 क/74	0.121
253/1 क/45	0.162
253/1 क/75	0.162
253/1 क/69	0.283
253/1 क/64, 253/1 क/47	0.323
253/1 क/44	0.085
योग 09	1.463

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हसौद वितरक नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 जनवरी 2009

क्रमांक 04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-घिवरा, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.045 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1051/1	0.045
योग 1	0.045

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घिवरा माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 जनवरी 2009

क्रमांक 05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-सोनादह, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.097 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
889	0.085
885/2	0.012
योग 2	0.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सोनादह माइनर नं. 2 नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 जनवरी 2009

क्रमांक 06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजेपुर
(ग) नगर/ग्राम-हसौद, प. ह. नं. 26
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.186 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1603/4	0.121
	1618/10	0.065
योग	2	0.186

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चिस्दा माइनर नं. 2 नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 जनवरी 2009

क्रमांक 07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजेपुर
(ग) नगर/ग्राम-मल्दाकला, प. ह. नं. 23
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.239 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1847/1	0.081
	1847/2	0.081
	1862	0.073
	2194/2	0.004
योग	4	0.239

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जमड़ी माइनर नं. 2 नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 जनवरी 2009

क्रमांक 08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-पामगढ़
(ग) नगर/ग्राम-बुन्देला, प. ह. नं. 15
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.242 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
108/8	0.020
107/1	0.069
106/9	0.024
289/1	0.008
289/10	0.065
326/1	0.008
326/2	0.016
321/1	0.012
977/4	0.020
योग 9	0.242

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बुन्देला माइनर नं. 1 नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 जनवरी 2009

क्रमांक 09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-बिर्रा, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.154 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2552	0.154
योग 1	0.154

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सोनादह माइनर नं. 1 नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक/03/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-अन्तागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-तुमावाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.73 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
6/2	0.37
7	0.20

	(1)	(2)
	11/2	1.10
	12	1.86
	10/2	0.60
	13/2	0.60
योग	6	4.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण- दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर रेलवे लाईन निर्माण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक/06/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
(ख) तहसील-अन्तागढ़
(ग) नगर/ग्राम-कलगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.45 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	21/1	0.55
	21/4	0.02
	22	0.10
	26	0.02
	23	0.18
	25	0.03
	27	0.24
	28	0.60
	29	0.05
	31	0.27
	32	0.25
	56	0.05
	58	0.10
	59	0.28
	60	0.38
	63	0.05
	66	0.20
	71	0.15
	64	0.06
	68	0.16
	65	0.11
	67	0.043
	73	0.05
	313/680	0.06
	74	0.15
योग	25	4.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर रेलवे लाईन निर्माण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक/09/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
(ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
(ग) नगर/ग्राम-केवटी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.46 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
287/2	0.74
294/2	0.16
294/6	0.31
294/11	0.75
317	0.05
316	0.58
294/4	0.16
294/9	0.31
294/12	0.10
294/13	0.12
294/1	0.16
294/10	0.28
294/3	0.16
294/7	0.19
300	0.16
312	0.50
315	0.16
314/3	0.71
314/3	0.49
294/5	0.16
310/2	0.62
294/8	0.19
293	0.42
289	0.65
290	0.45
292	0.02
310/3	0.75
313	0.12
310/1	0.56
311	0.08
309/2	0.08
307	0.70
304/2	0.36
304/1	0.10
305	0.45
306/1	0.26
314/1	0.15
306/2	0.25
योग	12.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर रेलवे लाईन निर्माण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक/12/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रम क एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चिचमर्रा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.36 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
236	0.08
242	0.38
266	0.02
240	0.30
325	0.70
335	0.02
399	0.26
337	0.25
407	0.21
409	0.08
341	0.39
345	0.03
403	0.07
408	0.30
424	0.87
336	0.12
406	0.22
241	0.08
239	0.40
268	0.06

	(1)	(2)
	404	0.17
योग		4.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर रेलवे लाईन निर्माण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक/15/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-अन्तागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-घोटुलबेड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.85 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	3/1	0.20
	3/3	0.55
	4	0.40
	3/2	0.20
	3/4	0.30
	6	0.20
योग	6	1.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर रेलवे लाईन निर्माण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक/18/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भैसाकन्हार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.21 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	688	0.28
	692/1	0.45
	727/1	0.40
	692/2	0.10
	696/1	0.14
	737/2	0.12
	739/1	0.31
	727/2	0.18
	726	0.23
योग		2.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर रेलवे लाईन निर्माण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक/21/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

(ख) तहसील-भानुप्रतापपुर

(ग) नगर/ग्राम-फरसकोट

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.87 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	317	0.50
	320	0.02
	319	0.35
योग	3	0.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर रेलवे लाईन निर्माण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक/24/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

(ख) तहसील-भानुप्रतापपुर

(ग) नगर/ग्राम-भैसमुण्डी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.33 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	335	0.20
	334	0.20
	333	0.05
	338	0.28
	340	0.97
	351	0.07
	392	0.88
	393	1.60
	389	0.09
	441	0.26
	442	0.15
	436	0.30
	443	0.30
	444	0.03
	430/2	0.18
	426	0.70
	503	0.19
	504	0.35
	502/1	0.09
	502/4	0.31
	502/2	0.10
	506/6	0.72
	502/3	0.19
	502/5	0.60
	514	0.04
	501	1.04
	497	0.56
	494	0.03
	500	0.64
	498	0.21
योग		11.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर रेलवे लाईन निर्माण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक/27/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-घोड़ाबत्तर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.92 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
30/1	0.20
30/3	0.21
30/2	0.31
33	0.50
34	0.37
35	0.40
47	0.08
48	0.02
100/1	0.20
101	0.10
87	0.06
100/2	0.26
100/3	0.36
98	0.35
98/335	0.23
121/1 क	0.01
121/7 ख	0.08
121/2	0.33
121/1 ग	0.03
121/3	0.14
121/8	0.04
121/7 क	0.17
121/6	0.65
121/5	0.01
137	0.35
138	0.01
139	0.30
153/3	0.01
154	0.02
175/1	0.10
155	0.25
166	0.04
174	0.60
168	0.13
योग	6.92

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर रेलवे लाईन निर्माण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक/30/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-अन्तागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कुहचे
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.24 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
67/2	0.65
70	1.29
72	0.45
78	0.25
79	0.45
81	0.35
103/1	1.93
109/1	0.05
192	0.02
194	0.60

	(1)	(2)
	195	0.20
योग	11	6.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर रेलवे लाईन निर्माण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक/33/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पण्डरीपानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.05 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	182/1	0.32
	189	1.25
	203/1	0.42
	203/2	0.30
	203/3	0.42
	200	0.42
	198	0.16
	199	0.11
	208	0.25
	261	0.39
	196/1	0.94
	255	0.08
	196/2	0.10
	257	0.28
	256	0.40
योग		6.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर रेलवे लाईन निर्माण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक/36/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-अन्तागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-ताड़ोकी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.63 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	23/2	0.02
	24	0.58
	23/1	0.03
योग	03	0.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर रेलवे लाईन निर्माण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक/39/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-अन्तागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मासबरस
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.20 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	305/1	0.04
	305/2	0.36
	306	0.06
	307	0.20
	309/1	0.26
	309/2	0.07
	309/5	0.10
	322	0.04
	323	0.07
योग	09	1.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर रेलवे लाईन निर्माण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक/42/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-अन्तागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-लामपुरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.55 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	189	0.13
	211	0.50
	212	0.24
	213/1	0.43
	213/3	0.25
योग	05	1.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर रेलवे लाईन निर्माण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक/45/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कनकपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.93 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.50
18	0.48
19	0.32
34	0.48
35	0.28
[illegible]	0.47
101	0.65
8/3	0.75
योग	3.93

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर रेलवे लाईन निर्माण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक/48/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-अन्तागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पोंडगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-22.90 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
42	0.07
45	0.85
48/2	0.81
(1)	(2)
51	0.05
59	0.30
547/2	0.50
552	0.20
555	0.40
559	0.18
614	1.0[illegible]
619	[illegible]
699	[illegible]
701	0.27
704	0.25
765	0.15
768	0.02
779/2	0.23
43	0.21
47	3.07
49	0.67
56	1.40
546	1.02
548	0.28
553	0.60
557	0.25
611	0.05
615	1.10
683	1.08
698	0.04
702	0.22
705	0.11
766	0.32
776	0.23
44	0.05
48/1	0.44
50	0.95
58/2	1.25
547/1	0.50
549	0.15
554	0.40
558	0.26
613	1.05
616	0.28
684	0.08
700	0.51
703	0.14
706	0.14
767	0.15

(1)	(2)
777	0.25
योग 49	22.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर रेलवे लाईन निर्माण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक/51/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-हरहरपानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.39 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1	0.50
2	0.57
3	0.38
4	0.92
20	0.45
18/1	0.11
18/2	0.30
16	0.40
28	0.12
11/1	0.20
11/5	0.22

(1)	(2)
11/2	0.22
योग	4.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर रेलवे लाईन निर्माण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक/54/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-अन्तागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-होयचुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.16 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
27	0.20
31	0.30
32	0.55
33	0.52
34	0.43
49	0.10
35/1	0.35
35/2	0.60
36	1.20
52	0.05
48	0.03
50	0.06

(1)	(2)
51	0.77
योग	5.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर रेलवे लाईन निर्माण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक/57/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-अन्तागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गोडबिनापाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-17.23 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
15	0.47
16	0.15
17	0.23
18	0.30
19	0.35
39	0.10
20	0.52
34	0.85
38	1.53
40	0.66
195	0.50
41	0.20
42	0.30
44	0.57
45	0.40
46	0.75
71	0.50
72	0.33
129	0.30
135	0.64
130	0.09
162	0.37
131	0.84
134	0.20
137	0.07
138	0.07
160	1.27
187	0.02
188	0.02
192	0.08
196	0.43
198	0.13
200	0.32
201	0.70
379	0.62
380	1.70
383	0.65
योग	17.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर रेलवे लाईन निर्माण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक/60/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

(ख) तहसील-अन्तागढ़

(ग) नगर/ग्राम-गावडेखसगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.13 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
91	0.85
95	0.25
117	0.04
200/4	0.47
204	0.47
233	0.09
235	0.29
92/3	0.05
102	1.14
125	0.01
200/6	0.09
213	0.73
234	0.15
239	0.50
योग 14	5.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर रेलवे लाईन निर्माण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक/63/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

(ख) तहसील-भानुप्रतापपुर

(ग) नगर/ग्राम-टेकाढोडा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.16 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
14	0.05
15	0.44
22	0.58
19	0.04
21	0.22
56/4	0.10
56/2	0.15
62	0.50
101	0.03
102	0.19
64	0.04
104	0.37
115	0.46
107	0.35
117	0.34
124	0.07
125	0.08
126	0.20
127	0.05
128	0.48
130	0.36
288/1 क	0.02
288/2	0.35
280/2	0.38
57/1	0.38
योग	6.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर रेलवे लाईन निर्माण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक/66/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कच्चे
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.59 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
172	0.25
173	0.21
174	0.39
167	0.02
166/1	0.15
166/2	0.05
164	0.50
299	0.34
80	0.10
82	0.05
81	0.96
148	0.20
210	0.16
149	0.02
143	0.06
146	0.04
107	0.01
211	0.09
208	0.10
333/1	0.75
212	0.02
213	0.12
214/1 क	0.16
283/1	0.15
283/6	0.05
317	0.48
319	0.56
295	0.03
294	0.45
288/1 ख	0.04
283/8 ख	0.09
283/4	0.06
283/7	0.10
288/2	0.11
140/1	0.08
214/2	0.03
2/213	0.10
320	0.11
285	0.10
282	0.09
योग	6.59

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर रेलवे लाईन निर्माण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक/69/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भीरागांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.64 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
98	0.35

(1)	(2)
100	1.05
103	0.70
104/1	0.29
104/20	0.35
118/1	0.35
118/2	0.55
194/5	0.11
171/1 ख	0.05
194/4	0.12
169/8	0.01
194/3	0.20
171/1 ख	0.07
194/2	0.02
171/1 ख	0.02
171/157	0.14
174/6	0.05
178/1	0.02
178/9	0.16
178/10	0.11
197	0.17
213	0.09
180	0.16
182	0.03
183	0.02
184/1	0.08
184/2	0.08
185/1	0.14
185/2	0.04
212/1	0.07
217	0.17
218/1	0.50
218/2	0.15
219	0.13
220	2.32
222	0.22
450	3.52
451	0.03
योग	12.64

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर रेलवे लाईन निर्माण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक/72/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
  (ख) तहसील-अन्तागढ़
  (ग) नगर/ग्राम-हिन्दुबिनापाल
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.54 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
185	0.12
204	0.15
205	0.30
218	0.22
219	1.20
220	0.25
433	1.05
434	0.25
योग	3.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर रेलवे लाईन निर्माण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक/75/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

(ख) तहसील-भानुप्रतापपुर

(ग) नगर/ग्राम-किनारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.99 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
80/2	0.11
80/3	0.11
81	0.41
82	0.36
योग 4	0.99

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर रेलवे लाईन निर्माण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक/78/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

(ख) तहसील-भानुप्रतापपुर

(ग) नगर/ग्राम-चौगेल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.25 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.40
5	0.32
2	0.72
6	0.08
7	0.08
10	0.37
11	0.28
14	0.39
23	0.03
201	0.06
203	0.04
3	0.13
24	0.13
196/1	0.93
197	0.36
200	0.62
349/1	0.10
338/3	0.03
338/4	0.09
349/2	0.11
338/2	0.06
338/5	0.16
348	0.09
332	0.04
319	0.17
345	0.05
340	0.27
339	0.03
334	0.24
337	0.05
320	0.01
331	0.09
378	0.40
400	0.10
401/1	1.66
402	0.02
383/1	0.02
421	0.01
468	0.02
419	0.27
422	0.10
418	0.33
417	0.07

(1)	(2)
434	0.03
451	0.27
440	0.29
441	0.06
452	0.50
457/1	0.02
457/2	0.68
476	0.32
योग	11.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर रेलवे लाईन निर्माण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक/81/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

(ख) तहसील-भानुप्रतापपुर

(ग) नगर/ग्राम-कन्हारगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-24.57 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
3/1 क	0.20
313	0.22
314	0.20
316	0.12
17/1 क	0.41
21/1 क	0.60
21/2	0.31
32/1	0.54
17/1 ख	0.22
21/3	0.21
32/8	0.42
47/1 ग	0.07
47/1 ख	0.10
44	0.21
48	0.23
45/[illegible]	0.10
49/1	0.24
242/16/3	0.36
249/1	0.43
46	0.89
86/3	0.60
47/1 घ	0.16
49/3	0.21
87	1.02
85/1	0.65
92/1	1.42
242/1 क	0.61
242/1 ग	0.06
242/1 छ	0.80
188/1	0.16
47/13	0.83
49/5	0.11
49/6	0.10
90/1	1.07
95	0.18
90/2	1.12
242/1/च	0.18
92/2/2	1.04
94/1	0.28
96/1	
98	
99	
10	
190/2	0.08
191	0.72
195/1 क	0.23
196/2	0.06
235	0.23
237/2	0.04
238	0.09
240/1	0.30

(1)	(2)
250/2	0.06
190/1	0.38
250/1	0.24
149/2	0.32
226/2	0.27
148/2 ग	0.12
195/1	0.38
195/2 क	0.11
192	0.16
237/9	0.21
239	0.24
241	0.24
240/2	0.40
252/2 ग	0.40
252/1 क	0.07
252/1 ख	0.10
252/1 ग	0.10
252/2 क	0.30
252/3 ख	0.24
252/3 ग	0.34
252/10	0.22
242/16	0.54
242/16/2	0.56
226/3	0.10
85/2	0.14
योग 46	24.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर रेलवे लाईन निर्माण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2008

क्रमांक/1867/स. अ. भू. अ.-3/2008.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 68 सहपठित धारा 73 एवं 107 के प्रावधानों के तहत तहसील कसडोल जिला रायपुर के ग्राम कुरकुटी, प. ह. नं. 25, रा. नि. मं. गिधौरी के आश्रित पारा नरधा को मूल ग्राम कुरकुटी से पृथक कर नरधा के नाम से एक पृथक राजस्व ग्राम तत्कालिन बंदोबस्त अधिकारी रायपुर द्वारा अपने रा. प्र. क्र. 46-अ/3 वर्ष 1996-97 में पारित आदेश दिनांक 19-06-1997 के तहत घोषित किया गया है. उक्त दोनों ग्रामों के पृथक-पृथक अभिलेख तैयार हो जाने के फलस्वरूप मैं, सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर, रायपुर एतद्द्वारा ग्राम कुरकुटी एवं नरधा, प. ह. नं. 25, तहसील कसडोल, रा. नि. मं. गिधौरी, जिला रायपुर (छ. ग.) के भू-अभिलेखों को तत्काल प्रभावशील करता हूं.

सुबोध कुमार सिंह,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 12 जनवरी 2009

क्रमांक/159/ख.लि. 2/08.—गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 12 के अन्तर्गत निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया क्षेत्र भवन निर्माण के सामग्री के रूप में उपयोग में लाये जाने वाले चूने के विनिर्माण के लिये भट्ठी में जलाकर उपयोग में लिया जाने वाला चूना पत्थर उत्खनि पट्टा पर दिये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन पश्चात् क्षेत्र उपलब्ध होगा.

क्र.	पूर्व पट्टेदार का नाम	ग्राम का नाम	तहसील	खसरा नं.	रकबा एकड़ में	खनिज का नाम	भूमि का विवरण	खुला घोषित किये जाने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	गुरू कृपा मिनरल्स प्रो. मनेन्द्र सिंह गरचा आ. हरबंश सिंह गरचा सहदेव नगर, राजनांदगांव	डुमरडीहकला	राजनांदगांव	106/2-3 भाग	1.50	चूना पत्थर	निजी भू-स्वामी	उत्खनिपट्टे की अवधि समाप्त होने के कारण
2.	श्री मनीष शर्मा आ. श्री अशोक शर्मा ब्राहम्ण पारा, राजनांदगांव	डुमरडीहकला	राजनांदगांव	505/2 भाग 508/1	1.00	चूना पत्थर	निजी भू-स्वामी	उत्खनिपट्टे की अवधि समाप्त होने के कारण
3.	श्री राजीव कुरियाकोस आ. श्री एन. आई. कुरियाकोस, रायपुर नाका, राजनांदगांव	चवेली	राजनांदगांव	398	2.63	चूना पत्थर	निजी भू-स्वामी	उत्खनिपट्टे की अवधि समाप्त होने के कारण

टीप :— भूमि स्वामी की सहमति अनिवार्य है.

संजय गर्ग,
कलेक्टर.